राजस्व वाद नं. 60 / 2008
उनवानी दाताराम आदि बनाम दुर्गा देवी आदि
निर्णय दिनांक 11-04-2022
GCMS NO. 2014/00415

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :- **60 / 2008**

1. दाताराम पुत्र गणपतराम
2. सरदाराराम पुत्र गणपतराम
   जाति गूर्जर निवासी देवता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

............**वादीगण**

बनाम

1. दुर्गा देवी पत्नी बनवारी जाति ब्राहम्ण निवासी देवता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
2. रेवती देवी बेवाह रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. ग्यारसी बेवाह मनोहर
4. सरबती देवी पत्नी किशोर
   जाति ब्राहम्ण निवासी रसुलपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. झुंझुनूं सहकारी विकास बैंक लिमिटेड झुंझुनूं शाखा खेतड़ी जरिये प्रबन्धक
6. भगवाना पुत्र बींजा **(मृतक)**

6/1 मेवा देवी पत्नी भगवाना राम

6/2 अशोक पुत्र भगवानाराम

6/3 आनन्द कुमार पुत्र भगवानाराम
जाति ब्राहम्ण निवासी देवता तहसील खेतड़ी।

6/4 विमला पुत्री भगवानाराम पत्नी दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी।

6/5 कृष्णा देवी पुत्री भगवानाराम पत्नी अनिल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंघाना तहसील बुहाना।

6/6 अनिता पुत्री भगवानाराम पत्नी ईश्वर सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी जोरासी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:28 IST
Reason: SelfAttested

7. मालाराम पुत्र रिछपाल **(मृतक)**

7/1 रामचन्द्र पुत्र मालाराम जाति गूर्जर निवासी देवता तहसील खेतड़ी।

7/2 रेवता देवी पुत्री मालाराम पत्नी अमरसिंह

7/3 मेवा देवी पुत्री मालाराम पत्नी सत्यवीर

7/4 कौशल्या देवी पुत्री मालाराम पत्नी समन्दर सिंह
जति गूर्जर निवासी ढ़ाणी तोलोड़ी गूजरान तहसील भिवानी (हरियाणा)

8. सांवताराम पुत्र रिछपाल जाति गूर्जर निवासी देवता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
10. भूपेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

......................प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री हेमराज सिंह	अभिभाषक	वादीगण
2. श्री लीलाधर शर्मा	अभिभाषक	प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक, खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

दिनांक :–11–04–2022

–: निर्णय :–

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 15.09.2020 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि वाके राजस्व ग्राम देवता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 1.98 हेक्टेयर भूमि में से 1.81 हेक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में 1.81 हेक्टेयर भूमि का वादीगण का खाता विभाजन अलग कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार खेतड़ी को 400 रूपये के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा का त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान को सूचित कर यथाशीघ्र भिजवायें।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2021/459 दिनांक 15–02–2021 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 के मुताबिक वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा प्रलेखीय दस्तावेजात का परीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से 4' व 'ब') के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

राजस्व वाद नं. 60/2008
उनवानी दाताराम आदि बनाम दुर्गा देवी आदि
निर्णय दिनांक 11–04–2022
GCMS NO. 2014/00415

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से 4' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 4' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:28 IST
Reason: SelfAttested